न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/253/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140004832022

निर्णय दिनांकः- 23.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 130/2022 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304a भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**रामनिवास** मीणा पुत्र अमीन मीणा उम्र 34 साल निवासी ग्राम राजपुर थाना कठूमर जिला अलवर राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	05.07.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05.07.2022
आरोप पत्र की तिथि	25.08.2022
आरोप के विरचना की तिथि	25.08.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	17.11.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	23.03.2026
निर्णय की तिथि	23.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	23.03.2026

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**रामनिवास मीणा**	-	-	धारा 279, 337, 304a भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	**06–06 माह व 01 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/– जुर्माना**	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

अभियोजन साक्षी-1	राजबहादुर	मुआयना साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	फेलुराम	रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	सत्यनारायण	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	बाबूलाल	पोस्टमार्टम साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	धनपाल	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	राधेश्याम	फर्द डैमेज साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	शिवराज	फर्द जब्ती साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	गोलू	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	डॉ0 धर्मेन्द्र गुप्ता	मेडिकल साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	राजेन्द्र	फर्द जब्ती साक्षी
अभियोजन साक्षी-11	रूपसिंह	माल जमाखाना साक्षी
अभियोजन साक्षी-12	पूरणसिंह	नोटिस 133 एमवी एक्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-13	भोजराज	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	मैकेनिकल मुआयना	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–2
3.	प्रदर्श पी-3	फर्द पंचनामा	अभि. साक्षी–2
4.	प्रदर्श पी-4	फर्द सुपुर्दगी लाश	अभि. साक्षी–2
5.	प्रदर्श पी-5	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–3
6.	प्रदर्श पी-6	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–4
7.	प्रदर्श पी-7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	अभि. साक्षी–4
8.	प्रदर्श पी-8	फर्द डैमेज साईकिल	अभि. साक्षी–6
9.	प्रदर्श पी-9	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–7
10.	प्रदर्श पी-10	नोटिस 133 एमवी एक्ट	अभि. साक्षी–12
11.	प्रदर्श पी-11	धारा 134 नोटिस	अभि. साक्षी–13
12.	प्रदर्श पी-14 to 20	जब्तशुदा कंटेनर के फोटो	अभि. साक्षी–13

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय :: **दिनांकः 23.03.2026**

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी फेलूराम ने थाना इन्द्रगढ़ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 130/2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी फेलूराम ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.07.2022 को सुबह करीब 6 बजे की बात है। मेरे लड़के रवि व गोलू दोनों साईकिल पर बैठकर शोच करने के लिए जा रहे थे। साईकिल प्रार्थी का पुत्र रवि चला रहा था व गोलू पीछे बैठा हुआ था। मेगा हाईवे मैन रोड जयनिवास सामुदायिक भवन के सामने सवाईमाधोपुर की तरफ से एक कंटेनर नंबर आरजे32–जीसी–1242 का चालक कंटेनर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मेरे लड़के रवि की गलत साईड से साईकिल के टक्कर मारी जिससे मेरे लड़के रवि व गोलू दोनों को अस्पताल में लेकर आये। घटना के समय मौके पर सत्यनारायण मौजूद था, जिसने दोनों लड़कों के एक्सीडेंट होने की सूचना दी....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 राजबहादुर, पी.ड02 फेलूराम, पी.ड03 सत्यनारायण, पी.ड04 बाबूलाल, पी.ड05 धनपाल, पी.ड06 राधेश्याम, पी.ड.07 शिवराज, पी.ड.08 गोलू, पी.ड.09 डॉ0 धर्मेन्द्र गुप्ता, पी.ड.10 राजेन्द्र व पी. ड.11 रूपसिंह, पी.ड.12 पूरणसिंह, पी.ड.13 भोजराज को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.20 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2022 को समय 06.00 बजे करीब मेगा हाईवे जयनिवास सामुदायिक भवन के सामने फरियादी के पुत्र रवि व गोलू दोनों साईकिल पर बैठकर शोच करने जाते वक्त कंटेनर नंबर आरजे32–जीसी–1242 को गफलत व लापरवाहीपूर्वक इस प्रकार चलाया,

जिससे मानव जीवन संकटापित होना संभाव्य था व तेज गति से चलाकर फरियादी के पुत्र की साईकिल के टक्कर मार दी जिसके फलस्वरूप गोलू गम्भीर रूप से घायल हुआ एवं रवि की मृत्यु कारित हुई ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 राजबहादुर ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.07.2022 को थाना इन्द्रगढ़ में कांस्टेबल चालक 327 के पद कार्यरत था। उस दिन उसे भोजराज हेड कांस्टेबल आईओ ने मुकदमा सं. 130/2022 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए आईपीसी में जब्तशुदा एक ट्रक कण्टेनर टाटा कम्पनी जिसके रजिस्ट्रेशन नं. आरजे 32 जीसी 1242 थे, के मैकेनिकल मुआयने के संबंध में तहरीर के आधार पर मैंकेनिकल मुआयना किया था जिसमें कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व उसकी मैकेनिकल रिपोर्ट है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 फेलूराम ने कथन किया है कि करीब 2 साल पूर्व की बात है, उसके दोनो बच्चे रवि, गोलू सुबह 6 बजे शौच करने साईकिल से गये थे। उसे घर पर उसके गांव के सत्यनारायण ने सूचना दी कि रवि पर गाड़ी चढ़ गई व गोलू बाड़े मे गिर गया है। फिर वह मौके पर सवाईमाधोपुर मेगा हाइवे पर पहुंचा। उसने देखा कि रवि पर ट्रेलर चढ़ा हुआ था, गोलू को इन्द्रगढ़ रैफर कर दिया था। रवि की मौके पर मौत हो गई थी। साईकिल दुर्घटना में टूट गयी थी। उसके द्वारा दर्ज करायी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 है, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी.03 है, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.04 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 सत्यनारायण ने कथन किया है कि करीब 2 वर्ष पूर्व की सवाईमाधोपरु मेगा हाइवे पर सुबह 6 बजे के करीब की बात है। गांव की तरफ से गोलू, रवि साईकिल लेकर आ रहे थे। सवाईमाधोपुर की तरफ से एक कण्टेनर आ रहा था, उसे एकदम से भड़ाके की आवाज आई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कंटेनर ने गलत दिशा में आकर गोलू व रवि के टक्कर मार दी, जिससे गोलू तो उछलकर बाड़ में गिर गया व रवि व उसकी साईकिल पर कंटेनर चढ़ गया। कंटेनर के नंबर आरजे 32 जीसी 1242 थे।

रवि की मौके पर मौत हो गयी थी। उसने गांव वालो को सूचना दी थी फिर वापस आया। ट्रक वाला ट्रक छोड़कर भाग गया। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 05 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 05.07.2022 को थाना इन्द्रगढ़ पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन पेलुराम पुत्र मोरपाल निवासी जयनिवास ने सामान्य चिकित्सालय इन्द्रगढ़ पर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की थी जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व कार्यवाही पुलिस है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है। मृतक रवि मीणा की लाश का पंचायतनामा मुर्तिब कर पोस्टमार्टम करवाकर लाश को पेलुराम को सुपुर्द किया था जो प्रदर्श पी 04 है व फर्द पंचायत प्रदर्श पी 03 है। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। इसके उपरांत उसने अग्रिम तफतीश हेतु भोजराज को एचसी को दिनांक 05.07. 2022 को सुपुर्द की।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 धनपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2022 को सुबह 6 बजे की बात है। उस दिन उसके भतीजे गोलू और रवि साईकिल पर जा रहे थे। तभी ट्रक नं. आरजे 32 जीसी 1242 के चालक ने गलत साइड में आकर गोलू और रवि के टक्कर मार दी। जिससे रवि की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी जबकि छोटा भाई जो साइकिल के पीछे बैठा था वह भी ट्रक की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा जिसको इलाज वास्ते इन्द्रगढ़ अस्पताल से सवाईमाधोपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। और रवि को घटनास्थल से थाना इन्द्रगढ़ से अस्पताल लेकर आयें। घ ाटनास्थल का नक्शामौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी.05 है। जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 राधेश्याम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2022 को लगभग छ साढ़े छ बजे की बात है। रवि और गोलू दोनो भाई शौच कर वापस लौट रहे थे। तभी सवाईमाधोपुर साइड से एक ट्रक कंटेनर चालक द्वारा गलत साइड में आने से रवि की वही मौके पर मौत हो गयी। और गोलू गंभीर घायल हो गयां। फिर रवि की

डेड बॉडी को कपड़े में बांधकर इन्द्रगढ़ अस्पताल में पोर्स्टमोर्टम करवाया और गोलू को इन्द्रगढ़ अस्पताल से माधोपुर रेफर कर दिया। ट्रक को चालक घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया। ट्रक के नं. आरजे 32 जीसी 1242 थे। फर्द घटनास्थल नक्शमौका पुलिस ने उसके सामने प्रदर्श पी.05 है। फर्द डेमेज साईकिल प्रदर्श पी. 08 है। जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 शिवराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 09.07.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ पर कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 130/2022 में भोजराज सिंह हेडकानि0 द्वारा उसके समक्ष थाना इन्द्रगढ पर वाहन स्वामी पूर्णसिंह की मोजूदगी में एक कंटेनर नं0 आरजे 32 जीसी 1242 को जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 09 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 गोलू ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2022 को वह और उसका भाई रवि दोनो साईकल से शौच करके मेघाहाइवे की तरफ से गांव की तरफ जा रहे थे। साइकिल रवि चला रहा था वह पीछे बेठा था, तभी सवाईमाधोपुर की तरफ से एक ट्रक आ रहा था वह सही दिशा में चल रहे थे, ट्रक ने उनकी साइड आकर उनकी साईकल के टक्कर मारी ,जिससे वह तो उछलकर बाड में जा गिरा और उसके भाई रवि के उपर से ट्रक निकल गया जिससे उसके भाई रवि की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। फिर ट्रक चालक ट्रक को आगे तलाई के पास छोडकर भाग गया था। उनके गांव के सत्यनारायण ने ही उसे उठाया था। फिर एम्बूलेंस उसके भाई को अस्पताल लेकर गयी। ट्रक के नं0 आरजे 32 जीसी 1242 थे।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 डॉ0 धर्मेन्द्र गुप्ता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 05.07.2022 को सीएचसी इन्द्रगढ पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना इन्द्रगढ की तहरीर पर उसके द्वारा मृतक रवि मीणा पुत्र फेलुराम मीणा उम्र 16 साल जाति मीणा निवासी जयनिवास के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया था। मृतक की मृत्यू का कारण शरीर पर कोई भारी वस्तु के गिरने से कई सारी हडिडयां एवं अंदरूनी अंगो का बुरी तरह से डेमेज होना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है

उसके हस्ताक्षर है, व राय अंकित है। उसी दिन उसने गोलु पुत्र फेलुराम उम्र 12 साल जाति मीणा निवासी जयनिवासी इन्द्रगढ के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोटें निम्न प्रकार है–1. कटा हुआ घाव, जो सिर के बीच में था। 2. पेट में नीचे की तरफ तेज दर्द बताया। 3. दोनों पैरों में नीचे की तरफ दर्द बताया। सभी चोटे साधारण प्रकृति की व कुन्दहाले से कारित पायी गयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है, मजरूब का पहचान चिन्ह है।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 राजेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 09.07.2022 को थाना इन्द्रगढ़ पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 130/2022 में कटेनर आरजे 32 जीसी 1242 भोजराज हैडकानि. ने उसके सामने जप्त किया था। उसकी फर्दजप्ती प्रदर्श पी 9 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

19. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.11 रूपसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 09.07.2022 को थाना इन्द्रगढ़ पर हैडकानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह मालखाना इंचार्ज भी था, उस दिन मुकदमा संख्या 130/2022 अर्न्तगत धारा 279,337,304ए भा0दं0सं0 में कटेनर आरजे 32 जीसी 1242 टाटा कंपनी का भोजराज हैडकानि. ने जप्त कर उसे संभलाया था। जिसे उसने 2022 के मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया था। इसके पश्चात दिनांक 11.07.2022 को न्यायालय के आदेश क्रमांक 761 दिनांक 11.07.2022 को वाहन स्वामी सुपर्दकार श्री पूरणसिंह पुत्र रामकिशन निवासी दहलावास को सुपुर्द किया था, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 10 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

20. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.12 पुरणसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह ट्रंक कन्टेनर जिसके रजि0 नं आरजे 32 जीसी 1242 का रजिस्टर्ड स्वामी था। पुलिस ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 9 उसके सामने मूर्तिब की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा उसे नोटिस 133 एम.वी.एक्ट दिया गया था, जो प्रदर्श पी 10 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व जवाब है।

21. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.13 भोजराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 05.07.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन आई.सी थाना श्रीबाबूलाल ए.एस.आई के द्वारा मुकदमा संख्या 130/2022 अर्न्तगत धारा 279,337,304ए भा.दं.सं. की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की गयी। दौराने अनुसंधान गवाहान सत्यनारायण, धनपाल, राधेश्याम, फेलूराम, गोलू, पूरणसिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम रामनिवास के विरूद्व धारा 279,337,304ए भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया, बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी श्रीहरीश भारती को सुपुर्द की गयी, उनके द्वारा बाद अवलोकन मुलजिम रामनिवास के विरूद्व 279,337,304ए भा.दं.सं. का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, उनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है।

22. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या दिनांक 05.07.2022 को जिस दुर्घटना में फरियादी के पुत्र रवि की मृत्यु कारित हुई व गोलू को गम्भीर चोटें आयी वह दुर्घटना वाहन कंटेनर नंबर RJ32GC1242 के द्वारा कारित की गई है। इस संबंध में फरियादी की ओर से रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पेश की गई है। उसमें **स्पष्ट रूप से उक्त वाहन के नंबर बताते हुए द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में कथन किया है** एवं उक्त गवाह जब न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.02 के रूप में परीक्षित हुआ तो उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुझे मेरे गांव के सत्यनारायण ने सूचना दी कि रवि पर गाडी चढ़ गई व गोलू बाडे में गिर गया। मैंने देखा कि रवि पर ट्रेलर चढ़ा हुआ था, गोलू को इन्द्रगढ़ रेफर कर दिया था। गाड़ी ट्रेलर के नंबर मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं। ऐसे में उक्त गवाह द्वारा वाहन नंबर नहीं बताये हैं। लेकिन उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि वह पढा–लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि उक्त गवाह पढ़ा–लिखा नहीं है। ऐसे में न्यायालय द्वारा उक्त गवाह जो कि पढा लिखा नहीं है, से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना के इतने लंबे समय पश्चात उक्त वाहन के नंबर बता सकता हो एवं रिपोर्ट पर प्रदर्श पी.02 में घटनास्थल पर सत्यनारायण के उपस्थित होने के संबंध में व उसके द्वारा फरियादी को सूचना दिये जाने के संबंध

में कथन किया है एवं अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.ड.03 सत्यनारायण को परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सवाईमाधोपुर की तरफ से एक कंटेनर आ रहा था, **मुझे एकदम से भडाके की आवाज आयी, मैं पीछे मुड़कर देखा तो कंटेनर ने गलत दिशा में आकर गोलू व रवि के टक्कर मार दी,** जिससे गोलू तो उछलकर बाद में गिर गया व रवि पर कंटेनर चढ़ गया। **कंटेनर के नंबर आरजे32.जीसी.1242 थे।** मैंने गांववालों को सूचना दी एवं घटना के वक्त मृतक रवि के साथ मौजूद स्वयं आहत गोलू पी.ड.08 ने कथन किया है कि ट्रक ने हमारी साईड आकर हमारी साईकिल के टक्कर मारी, जिससे वे उछलकर बाड में जा गिरा व उसका भाई रवि के ऊपर ट्रक निकल गया। फिर ट्रक चालक ट्रक को आगे तलाई के पास छोड़कर भाग गया था। हमारे गांव के सत्यनारायण ने ही मुझे उठाया था। ट्रक के नंबर आरजे32–जीसी–1242 थे व अन्य गवाह पी.ड.05 धनपाल व पी.ड.06 राधेश्याम ने उक्त वाहन के नंबर बताते हुए वक्त दुर्घटना एक्सीडेंट किए जाने के तथ्य की ताईद की है एवं उक्त घ ाटना की जानकारी सत्यनारायण के द्वारा दिए जाने के संबंध में कथन किया है। प्रदर्श पी.09 के तहत उक्त वाहन को जब्त किया गया है एवं पी.ड.01 के द्वारा उक्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना किया जाकर रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कराये गए है व अनुसंधान अधिकारी ने जरिये प्रदर्श पी.09 उक्त वाहन को ही जब्त किया है। चूंकि एफआईआर कर्ता स्वयं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था एवं वह अनपढ़ भी है। ऐसे में उससे वाहन के नंबर याद रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है **लेकिन स्वयं आहत व चक्षुदर्शी साक्षी सत्यनारायण के द्वारा घटना देखी गई है एवं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त वाहन के द्वारा घटना कारित किए जाने का कथन कर रहे है** एवं उनकी जिरह में भी इस प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित नहीं की गई हो एवं यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि Eye witnesses is the best witness। **इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि जिस दुर्घटना में फरियादी के पुत्र रवि की मृत्यु कारित हुई एवं गोलू के गम्भीर चोटें आयी, वह उक्त दुर्घटना वाहन संख्या RJ32GC1242 के द्वारा कारित की गई है।**

23. अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या वक्त दुर्घटना उक्त वाहन संख्या RJ32GC1242 को मुलजिम रामनिवास ही चला रहा था। इस

संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित हुए हैं, उनमें से किसी भी गवाह ने वाहन चालक का नाम नहीं बताया है। लेकिन इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि यदि आम रास्ते पर दुर्घटना होती है तो आम रास्ते से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से आ जा सकता है व किसी भी गांव, जिला व राज्य का हो सकता है। ऐसे में न्यायालय द्वारा **आहत व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि उसके साथ जिस व्यक्ति के द्वारा दुघ र्टना कारित की गई है या उसे जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी है, उसे वह जानता हो।** अनुसंधान अधिकारी ने वाहन मालिक को प्रदर्श पी.10 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया है। जिस पर वाहन मालिक के द्वारा सी से डी यह जवाब दिया है कि वक्त घटना दिनांक 05.07.2022 को समय 06.00 एएम करीब मेरे ट्रक कंटेनर नं0 आरजे32–जीसी–1242 को चालक रामनिवास मीणा पुत्र अमीन निवासी राजपुर अलवर चला रहा था एवं उक्त गवाह ने पी.ड.12 के रूप में कथन किया है कि मैं ट्रक कंटेनर का रजिस्टर्ड स्वामी हूं। मुझे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। घटना के वक्त मेरे ट्रक को कौन चला रहा था, मुझे याद नहीं है। **मुझे नोटिस 133 एमवी एक्ट दिया गया जो प्रदर्श पी.10 पर ए से बी हस्ताक्षर है व सी से डी मेरा जवाब है। वाहन स्वामी बयानो में यह जरूर कथन कर रहा है कि घटना के वक्त ट्रक कौन चला रहा था, याद नहीं है लेकिन वह दस्तावेज प्रदर्श पी.10 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व स्वयं का जवाब होना स्वीकार कर रहा है।** ऐसे में स्वयं वाहन स्वामी सी से डी के मध्य अभियुक्त रामनिवास के द्वारा उक्त वाहन को चलाया जाना स्वीकार कर रहा है एवं अपने प्रदर्श पी.10 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर भी स्वीकार कर रहा है एवं इस संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गए हो या किसी प्रकार की धोखाधडी से हस्ताक्षर करवाये गये हो एवं यदि वक्त घ ाटना रामनिवास के द्वारा वाहन नहीं चलाया जा रहा था तो किस व्यक्ति के द्वारा उसके वाहन को चलाया जा रहा था इस संबंध में भी उक्त गवाह पी.ड.12 वाहन स्वामी पूरण सिंह का यह दायित्व था कि वह बताता कि वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को कौन चला रहा था। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह साबित है कि वक्त दुघ र्टना वाहन संख्या आरजे32–जीसी–1242 को अभियुक्त रामनिवास द्वारा ही चलाया जा रहा था।

24. अब न्यायालय को यह देखना था कि वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को अभियुक्त रामनिवास द्वारा गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पी.ड.03 व स्वयं आहत पी.ड.08 ने उक्त वाहन को गलत दिशा में आकर एक्सीडेंट कारित किए जाने के संबंध में कथन किया है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से घटना में फर्द नक्शामौका निरीक्षण व घटनास्थल को प्रदर्श पी.05 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, जिसमें घटना एक्स स्थान की बतायी गई है जिसके अनुसार सवाईमाधोपुर की ओर से ट्रक आ रहा था जिसे बायी दिशा में उसे होना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत उक्त वाहन से गलत दिशा में आकर दुर्घटना कारित की गई है तो इस प्रकार से यह साबित है कि उक्त वाहन को अभियुक्त द्वारा गफलत व लापरवाहीपूर्वक रोंग साईड में लाकर एक्सीडेंट कारित किया गया है।

25. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2022 को समय 06.00 बजे करीब मेगा हाईवे जयनिवास सामुदायिक भवन के सामने फरियादी के पुत्र रवि व गोलू दोनों साईकिल पर बैठकर शोच करने जाते वक्त कंटेनर नंबर आरजे32–जीसी–1242 को गफलत व लापरवाहीपूर्वक इस प्रकार चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापित होना संभाव्य था व तेज गति से चलाकर फरियादी के पुत्र की साईकिल के टक्कर मार दी जिसके फलस्वरूप गोलू गम्भीर रूप से घायल हुआ एवं रवि की मृत्यु कारित हुई। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 में अपराध प्रमाणित पाये जाने से उक्त अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

26. परिणामस्वरूप **अभियुक्त रामनिवास** मीणा पुत्र अमीन मीणा उम्र 34 साल निवासी ग्राम राजपुर थाना कठूमर जिला अलवर राज0 को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

27. सजा के बिंदू पर सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया जबकि अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि उनकी पूर्व की दोषसिद्धि भी प्रमाणित नहीं है अतः आरोपी को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ प्रदान किया जावें।

28. वर्तमान में इस प्रकार के एक्सीडेंट के मुकदमों में निरंतर बढोतरी हो रही है। यदि अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो भविष्य में ऐसे अपराधों को प्रोत्साहन ही मिलेगा साथ ही समाज में गलत संदेश जायेगा। ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना अथवा अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः उन्हें कारावास के दंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: दण्डादेश :—

29. अतः **अभियुक्त रामनिवास** मीणा पुत्र अमीन मीणा उम्र 34 साल निवासी ग्राम राजपुर थाना कठूमर जिला अलवर राज0 में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279 भा.दं.सं. के तहत 06 माह का साधारण कारावास एवं धारा 337 भा.दं.सं. के तहत 06 माह के साधारण कारावास तथा धारा 304ए भा.दं.सं. के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000/— रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड 01 माह के अतिरिक्त साधाराण कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

30. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में भुगताई गई अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानुसार मूल सजा में से नियमानुसार मुजरा की जावे। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ—साथ चलेगी।

31. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000/— रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

32. जब्तशुदा वाहन जो वाहन स्वामी को सुपुदर्गी पर दिया गया है, वह सुपुर्दगीदार के पास बना रहे व बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

33. अभियुक्त के नाम सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रत्येक अभियुक्त को दिलाई जावे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

34. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़